

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 133/2024

अनवान : -

1. सकील खान पुत्र सराजु जाति लुहार साकिन परलीका तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम्**

1. सरीफा पत्नी सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. अलीशेर पुत्र सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. धौली पुत्री सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. नरमा पत्नी अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. रमजान पुत्र अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. मुन्शी खां पुत्र अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. सन्तरो पुत्री अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. गुडडी पत्नी झन्डु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. नयामती पत्नी नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. प्रवीणा पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. मन्जु पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. अनवर पुत्र सुलोचना पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. सानिया पुत्री सुलोचना पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. बलकेश पत्नी स्व0 रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
16. सरजीत पुत्र स्व0 रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. हस्मत पुत्र स्व0 रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. जावेदा पुत्री रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. धापा पत्नी स्व0 समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. रजाक पुत्र समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. संजय पुत्र समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
22. बाला पुत्री समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
23. सरोज पुत्री समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 04/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 12 बरानी तहसील नोहर तहसील नोहर के खाता स0 186/180 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि जिसके अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण जाति लुहार निवासी परलीका प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।


उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण बदरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण बदरी का स्वर्गवास हो चुका है सरोजू के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है एवं अब्दुल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 है तथा झण्डु के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 एवं मृतक नेका के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 है एवं रोशन वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 है एवं मृतक समसुदीन के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 25 है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन एवं माता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 8 प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की माता व बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 व प्रतिवादी संख्या 10 की पुत्रीया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 प्रतिवादी संख्या 19-20 की माता व पुत्री है तथा प्रतिवादीगण संख्या 21, 22, 23 प्रतिवादी संख्या 22 व 23 की माता व बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है बाद हक त्याग रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 186/180 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 23 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 23 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 24 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण समसूदीन, झिन्दुराम, रोशन खां, नेक मोहम्मद, सरोजू, अब्दुल, सदस्य प्रमाण आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण बदरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण बदरी का स्वर्गवास हो चुका है सरोजू के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है एवं अब्दुल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 है तथा झण्डु के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 एवं मृतक नेका के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 है एवं रोशन वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 है एवं मृतक समसुदीन के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 25 है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन एवं माता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 8 प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की माता व बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 व प्रतिवादी संख्या 10 की पुत्रीया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 प्रतिवादी संख्या 19-20 की माता व पुत्री है तथा प्रतिवादीगण संख्या 21, 22, 23 प्रतिवादी संख्या 22 व 23 की माता व बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 186/180 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर तहसील नोहर के खाता स0 186/180 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि जिसके अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण बदरी जाति लुहार निवासी परलीका प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण बदरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सरोजु पुत्रगण बदरी का स्वर्गवास हो चुका है सरोजू के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है एवं अब्दुल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 है तथा झण्डु के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 एवं मृतक नेका के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 है एवं रोशन वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 है एवं मृतक समसुदीन के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 25 है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व

al  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

4 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन एवं माता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 8 प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की माता व बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 व प्रतिवादी संख्या 10 की पुत्रीया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 प्रतिवादी संख्या 19-20 की माता व पुत्री है तथा प्रतिवादीगण संख्या 21, 22, 23 प्रतिवादी संख्या 22 व 23 की माता व बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 186/180 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक सराजू, अब्दुल, झण्डु, नेका, रोशन, समसूदीन के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर तहसील नोहर के खाता स0 186/180 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि जिसके अब्दुल, झण्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सराजु पुत्रगण बदरी जाति लुहार का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 व 17 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 को बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (पंकज गढ़वाल R.A.S)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर  
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 133/2024

अनवान : -

1. सकील खान पुत्र सराजु जाति लुहार साकिन परलीका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सरीफा पत्नी सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. अलीशेर पुत्र सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. धौली पुत्री सराजु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. नरमा पत्नी अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. रमजान पुत्र अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. मुन्शी खां पुत्र अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. सन्तरो पुत्री अब्दुल जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. गुडडी पत्नी झन्डु जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. नयामती पत्नी नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. प्रवीणा पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. मन्जु पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. अनवर पुत्र सुलोचना पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. सानिया पुत्री सुलोचना पुत्री नेका जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. बलकेश पत्नी स्व0 रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
16. सरजीत पुत्र स्व0 रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. हस्मत पुत्र स्व0 रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. जावेदा पुत्री रोशन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. धापा पत्नी स्व0 समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. रजाक पुत्र समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. संजय पुत्र समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
22. बाला पुत्री समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
23. सरोज पुत्री समसुदीन जाति लुहार निवासी परलीका तहसील नोहर।
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 133 सन 2024 निर्णय दिनांक 04/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र केशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बरानी तहसील नोहर तहसील नोहर के खाता स0 186/180 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि जिसके अब्दुल, झन्डु, नेका, रोशन, समसुदीन, सराजु पुत्रगण बदरी जाति लुहार का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 व 17 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 को बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर